बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0संख्या–प्र0-02/ल0ज0स0/बजट/गै0यो0/सतही/मध्यम सिं0-24/23 212 दिनांक- 01/08/26

प्रेषक,

राजीव कुमार झा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

E-mail

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, रोहतास, सासाराम ।

विषय– वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु (CFMS-2.0) प्रणाली द्वारा निर्गत आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय आवंटन(**CFMS-2.0**) प्रणाली द्वारा **अनुरक्षण एवं मरम्मत** कार्य हेतु **कुल-14.216 लाख (चौदह लाख इक्कीस हजार छः सौ) रूपये मात्र (संलग्न विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या**-5078 दिनांक-01.08.26 **के आलोक में)** आवंटन निर्गत किया गया है । जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रूपये में)

विपत्र कोड : 50-2702031010002,	***विषय शीर्ष-27.02-अनुरक्षण एवं मरम्मत***		
क्र0सं0	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	आवंटन
1	2	3	4
1	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास, सासाराम	खिरोधपुर आहर के थाना संख्या-299 के खेसरा संख्या-273 एवं 376 में मिट्टी खुदाई का पुर्नस्थापन कार्य	**14.216**

2. आवंटित राशि का नियमानुसार शत्-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित कार्यपालक अभियंता का होगा ।

3. आवंटित राशि का व्यय संबंधित योजनाओं में स्वीकृत राशि के अधीन ही किया जाय। जिन योजनाओं के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जाँच चल रही हो, उसमें अंतिम निर्णय होने एवं विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान किया जाय ।

4. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन हैं। बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम-342 के अनुसार पूर्व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुये, एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाये।

5. योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी पदाधिकारी बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधानों तथा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में कार्य कराने के लिए जिम्मेवार होंगे।

6. आवंटित राशि का व्यय बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता तथा समय-समय पर दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय।

7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय। उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की तत्काल आवश्यकता हो। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जाय ।

9. व्यय प्रतिवेदन विभाग/ महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ।

10. संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित हो रही योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराया जाय । यदि आपके द्वारा कार्यो का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो कार्यो पर किये गये भुगतान की जबावदेही आप की भी होगी ।

11. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

12. उक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **रोहतास, सासाराम** होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, **पटना** होगें ।

13. अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना संबंधित योजना एवं उक्त आवंटित राशि के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होगें तथा क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे ।

14. उक्त आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, **रोहतास, सासाराम** से की जायेगी ।

15. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया गया है ।

अनु0ः-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 212 पटना, दिनांक- 01/08/26

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/प्रशाखा-03/आई0 टी0 मैनेजर, आई०टी० कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/अधीक्षण अभियन्ता(मु0) अनुश्रवण, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

140

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सिं0मो0(अनु0 एवं मरम्मति)-85/2021(पार्ट-1)- 5078 **पटना, दिनांक-** 01/08/26

प्रेषक,

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में लघु सिंचाई प्रमंडल, **रोहतास, सासाराम** अन्तर्गत **खिरोधपुर आहर के थाना संख्या-299 के खेसरा संख्या-273 एवं 376 में मिट्टी खुदाई का पुर्नस्थापन कार्य** हेतु कुल **14.216 लाख (चौदह लाख इक्कीस हजार छः सौ रुपये) मात्र** की स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में लघु सिंचाई प्रमंडल, **रोहतास, सासाराम** अन्तर्गत **खिरोधपुर आहर के थाना संख्या-299 के खेसरा संख्या-273 एवं 376 में मिट्टी खुदाई का पुर्नस्थापन कार्य** हेतु कुल **14.216 लाख (चौदह लाख इक्कीस हजार छः सौ रुपये) मात्र** की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	प्रखण्ड का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास, सासाराम	खिरोधपुर आहर के थाना संख्या-299 के खेसरा संख्या-273 एवं 376 में मिट्टी खुदाई का पुर्नस्थापन कार्य	बिक्रमगंज	**14.216**

2. योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
3. सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-318/2017 वीरेन्द्र ठाकुर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-27.02.2017 को पारित न्यायादेश से व्युत्पन्न एम0जे0सी0 सं0-1730/2017 वीरेन्द्र ठाकुर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-25.06.2026 एवं दिनांक-24.07.2026 को पारित आदेश के आलोक में उक्त योजना के मिट्टी खुदाई का पुर्नस्थापन कार्य किया जाना है ।
4. योजना की मरम्मति पर होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष-2026-27 में मांग सं0-50, मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-03 रख-रखाव, लघु शीर्ष-101- जल टंकी, उप शीर्ष-0002- अन्य रख-रखाव व्यय, विपत्र कोड 50-2702031010002, विषय शीर्ष-27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन से भारित होगा ।
5. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
6. **दिनांक-** 01/08/2026 को संचिका संख्या- **ल0सिं0मो0(अनु0 एवं मरम्मति)-85/2021(पार्ट-1)** के **पृ0-**23**/टि0** पर **सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।**

D:\1\YOJANA 2024-25\ANURAKSHAN & MARAMMATI\ANU & REP 85-2021-SASARAM.DOCX

(139)

7. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0(अनु0 एवं मरम्मति)-85/2021(पार्ट-1) के **पृ0-..21../टि0** पर **आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।**
8. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
9. वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.98 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
10. राशि की निकासी जिला कोषागार, **रोहतास, सासाराम** से की जायेगी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **रोहतास, सासाराम** होगें ।
11. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **रोहतास, सासाराम** उक्त योजना को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करते हुए राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन

1/8/26

(संगीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 5078 पटना, दिनांक- 01/08/26

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, **रोहतास, सासाराम**/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, **पटना**/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता, (मु0) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **रोहतास, सासाराम** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/8/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 5078 पटना, दिनांक- 01/08/26

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/8/26

सरकार के अपर सचिव

D:\1\YOJANA 2024-25\ANURAKSHAN & MARAMMATI\ANU & REP 85-2021-SASARAM.DOCX